

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

विषय:-

N.H.D.P. फेज-III के 4/6 लेन महुलिया-बहरागोडा N.H.-33 एवं बहरागोडा-खड़गपुर N.H.-06 का चौड़ीकरण हेतु अधिसूचित वन भूमि 57.78 हे0 एवं जंगल-झाड़ी 0.43 हे0 तथा गैर अधिसूचित वन भूमि 0.62 हे0 कुल 58.83 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0-11-306/2014-FC(pt.) दिनांक-28.08.15 के द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-521 दिनांक-03.05.16 से प्राप्त कार्यानुमति प्रस्ताव की समीक्षापरान्त विषयक परियोजना में सन्निहित अधिसूचित वन भूमि पर एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यानुमति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञ:पांक- वन भूमि -23/2013 -

व0 प0, राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय-राँची, बंगला नं0-A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञ:पांक- वन भूमि -23/2013 -

-

व0 प0, राँची, दिनांक

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची /परियोजना निदेशक, N.H.A.] अशोक नगर, राँची-834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञ:पांक- वन भूमि -23/2013 - 2232

व0 प0, राँची, दिनांक 06.05.2015-

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय वेबसाईट "forest.jharkhand.gov.in" पर upload करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव